न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
03/2018/प्रा.पत्र/2018	16.01.2018	29.06.2022

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

......आवेदक

बनाम

1—श्री सुनिल कुमार जैन पुत्र श्री पदम चन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स जैन प्रोविजन स्टोर सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज. निवासी प्लॉट नं. 148, कृषि मण्डी के पीछे, बृजलाल नगर मालपुरा जिला टोंक राज.
2—मैसर्स जैन प्रोविजन स्टोर सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज.
3—श्री भगवान दास हरवानी पुत्र श्री रामचन्द हरवानी प्रोपरायटर मैसर्स पार्वती ऑयल मील पडाव अजमेर निवासी 1, माँ पार्वती विला, रेलवे मेन्स कॉलोनी अजय नगर सोमलपुर रोड अजमेर राज.
4—मैसर्स पार्वती ऑयल मील पडाव अजमेर

......अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार उपस्थित।
2—अप्रार्थी सं. 1 श्री सुनिल कुमार जैन उप.।

:—**निर्णय**—: दिनांक 29.06.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.07.2017 को समय सायं 02:01 पी.एम. पर मैसर्स जैन प्रोविजन स्टोर सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक राज. पर पहुंचा। वहाँ श्री सुनिल कुमार जैन पुत्र श्री पदम चन्द जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में गुड, घी, शक्कर, तेल के साथ—साथ **रिफाइंड सोयाबीन तेल रियल फ्रेश मूल पैक (Refined Soyabeen Oil Real Fresh Origional Pack)** अलग—अलग सील्ड पैक 455—455 ग्राम की 24 सील्ड पैक प्लास्टिक बोतल दुकान में पेपर कार्टुन में रखी हुई थी जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा होने पर विक्रेता श्री सुनिल कुमार जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दोनों प्रतियों में विक्रेता श्री सुनिल कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

कर विक्रेता को बताकर कि यह **रिफाइंड सोयाबीन तेल रियल फ्रेश मूल पैक (Refined Soyabeen Oil Real Fresh Origional Pack)** जिसके बैच नम्बर/लोट नं. 06 एवं पैंकिंग की दिनांक जून 2017 थी, वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किए जा रहे है, 455–455 ग्राम की 24 सील्ड पैक प्लास्टिक बोतलों में से कुल 4 सील पैक प्लास्टिक बोतल खरीदी, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा 455–455 ग्राम की 4 सील पैक प्लास्टिक बोतलों कुल 1820 ग्राम **रिफाइंड सोयाबीन तेल रियल फ्रेश मूल पैक (Refined Soyabeen Oil Real Fresh Origional Pack)** को 455–455 ग्राम के चार नमूना भाग तैयार कर चारो नमूना भागों के लिए नियमानुसार चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1642 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–1642 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

श्री सुनिल कुमार जैन पुत्र श्री पदम चन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स जैन प्रोविजन स्टोर सुभाष मार्केट मालपुरा जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स पार्वती ऑयल मील पडाव अजमेर का वारंटी बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

वारन्टी होने के कारण आवेदक ने मैसर्स पार्वती ऑयल मील पडाव अजमेर को पत्र प्रेषित कर फार्म नं. 5ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाने बाबत् पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म के दस्तावेज भेजे।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./17/3844 दिनांक 08.08.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस 501/एक्ट/2017/507 दिनांक 25.05.2017 के अनुसार विक्रेता श्री सुनिल कुमार जैन से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु क्रय किया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल रियल फ्रेश मूल पैक (Refined Soyabeen Oil Real Fresh Origional Pack)** विटामिन ए टेस्ट के नकारात्मक होने के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** तथा एफ.एस.एस.ए. की धारा **3(1)(zf)(C)(i)** का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण ने **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का **रिफाइंड सोयाबीन तेल रियल फ्रेश मूल पैक (Refined Soyabeen Oil Real Fresh Origional Pack)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में [illegible]रित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री सुनिल कुमार जैन उपस्थित हुए एवं सभी की ओर से जुर्म स्वीकार किया। प्रकरण में पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **रिफाइंड सोयाबीन तेल रियल फ्रेश मूल पैक (Refined Soyabeen Oil Real Fresh Origional Pack)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल रियल फ्रेश मूल पैक (Refined Soyabeen Oil Real Fresh Origional Pack)** नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 52 के अन्तर्गत जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 50,000/– (अक्षरे पचास हजार रू0) तथा अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 2,00,000/– (अक्षरे दो लाख रूपये) आरोपित जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 29.06.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। निर्णय की प्रति अप्रार्थी एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0